

क्या सीएमवीआर और मोटर वाहन नियम से ऊपर है परिवहन आयुक्त की हठ और आदेश

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली में परिवहन आयुक्त के राजस्व इजाफा और अपनी प्रिय कंपनियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से सीएमवीआर और मोटर वाहन नियम से बाहर जाकर किए आदेशों से दिल्ली में पंजीकृत व्यवसायिक वाहन मालिकों के हाथ पैर फूले पड़े हैं और बिना किसी गलती के जुर्माने भरने के बावजूद वाहन नहीं चला पा रहे हैं। दिल्ली सरकार, मुख्य सचिव और उपराज्यपाल दिल्ली भी आंख कान और मुंह बंद करके सब देख रहे हैं। भाजपा, आम आदमी पार्टी एवम् अन्य राजनेता भी अलग अलग बहानेबाजी करते नजर आ रहे हैं पर किसी ने भी परिवहन आयुक्त के खिलाफ ना तो कोई कार्यवाही करी और ना ही करने के लिए आवाज उठाई।


व्यवसायिक श्रेणी में पंजीकृत वाहन को मोटर वाहन नियम के अनुसार सड़क पर वाहन चलाने के समय वाहन का मान्य जांच प्रमाण पत्र होना आवश्यक है और अगर वाहन का मान्य जांच प्रमाण पत्र नहीं है तो अन्य मान्य दस्तावेज भी अमान्य माने जाते हैं।

दिल्ली परिवहन आयुक्त ने एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक आदेश का दिखावा करते हुए पूर्ण क्षमता ना होते हुए भी बुराड़ी वाहन जांच शाखा से वाहनों को जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए झूलझूली वाहन जांच शाखा में परिवर्तन के आदेश जारी कर दिए जिससे वाहन मालिकों को वाहन जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तारीख



उपलब्ध नहीं हो पा रही। परिवहन आयुक्त के आदेश के कारण वाहन जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तारीख उपलब्ध नहीं होने पर वाहन मालिकों से बिना उनकी गलती के होते हुए उनसे

दुबारा पंजीकरण के नाम से मोटर वाहन अधिनियम में दर्शाए गए जुर्माने के साथ 50 रुपए प्रतिदिन के जांच प्रमाण पत्र देरी के नाम से जुर्माना वसूल कर रहा है। इसके अलावा मान्य वाहन



जांच प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण वाहन मालिक वाहन भी सड़को पर नहीं चला पा रहे अर्थात बिना गलती के वाहन भी नहीं चला पा कर कमाई से दूर और साथ में जुर्माना और साथ ही वाहन लोन को ना भर पाने का डर।

आपकी जानकारी हेतु बता दे परिवहन विभाग को हर हाल में व्यवसायिक गतिविधि के वाहनों

को उनकी वाहन जांच प्रमाण पत्र समाप्त होने की तारीख से 60 दिन पहले वाहन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करवाना आवश्यक है इसकी जानकारी हेतु आप किसी भी व्यवसायिक वाहन के जांच प्रमाण पत्र को देख कर समझ सकते हैं। आपकी जानकारी हेतु हम एक वाहन के जांच प्रमाण पत्र इसी लेख के साथ सलग कर रहे

हैं जिसमें आप देखेंगे की वाहन जांच पत्र की समाप्ति की तारीख के नीचे दूसरी लाइन में स्पष्ट किया गया है की वाहन मालिक 60 दिन पहले दुबारा जांच प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है पर परिवहन आयुक्त ने व्यवसायिक वाहन मालिकों को लुट कर राजस्व में इजाफा करवाने के उद्देश्य से वाहन जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की इजाजत ही मात्र 25 दिन पहले की रखवाई है और वाहन जांच प्रमाण पत्र करने की क्षमता वाहनों की जरूरत से बहुत कम होने के कारण तारीख की उपलब्धता नहीं हो सकती।

अब आप समझ सकते हैं की किस तरीके से परिवहन आयुक्त दिल्ली के व्यवसायिक वाहन मालिकों को बर्बाद कर राजस्व में इजाफा करवा रहे हैं और फाइनेंस कंपनियों को वाहनों को कब्जे में लेने का रास्ता दे रहे हैं और साथ ही झूलझूली वाहन जांच शाखा में परिवहन आयुक्त की मेहरबानी से एक्सटेंशन प्राप्त कर कार्य करने वाली कम्पनी को मुनाफा कमवा रहे हैं।

यह सब जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मंत्री परिवहन भारत सरकार, उपराज्यपाल दिल्ली, मुख्य सचिव दिल्ली, मुख्यमंत्री दिल्ली, परिवहन मंत्री दिल्ली और स्वयं परिवहन आयुक्त को है और सब कुछ जानते हुए सोची समझी साजिश के अनुसार दिल्ली में पंजीकृत व्यवसायिक वाहन मालिकों को परेशानी में डाल रहे हैं।

टॉल्वा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए - 4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉर्पोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिये... पुराने बस अड्डे पर हादसे का खतरा, नहीं लगा है कोई नोटिस

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे पर चल रहे निर्माण कार्य के बीच बसों का संचालन यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। नियमों के अनुसार निर्माण कार्य शुरू होने पर बसों का संचालन साहिबाबाद डिपो से किया जाना था लेकिन राजस्व की चिंता के कारण ऐसा नहीं किया गया। निर्माण कार्य के बीच यात्री पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश भी जारी नहीं किए गए।

गाजियाबाद। पुराने रोडवेज बस अड्डे पर चल रहे निर्माण कार्य के बीच बसों का संचालन हो रहा है। लापरवाही की हद तो ये है कि यहां यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई नोटिस भी नहीं लगाया गया है। ऐसे में यात्रियों को हादसे का खतरा है। नियम के तहत निर्माण कार्य शुरू होने पर बसों का संचालन साहिबाबाद डिपो से किया जाना था।

गाजियाबाद बस अड्डे का निर्माण मार्च 2026 तक पूरा किया जाना है। यहां सभी सुविधाएं हवाई अड्डे की तर्ज पर मिलेंगी। बस अड्डा पूरी तरह से अत्याधुनिक होगा। इसके लिए कंपनी ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। पिलर व स्ट्रक्चर तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।



मार्च 2025 तक पूरा होना था काम गाजियाबाद बस अड्डे का निर्माण पीपीपी मोड (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के अंतर्गत किया जा रहा है। ओमेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बस अड्डे का निर्माण 61 करोड़ रुपये में कर रही है। शुरुआत में कंपनी को मार्च 2025 तक निर्माण कार्य पूरा करना था।

लिये करीब आठ पहले आ गई थी, लेकिन यहां से संचालित करीब 59 बसों को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया। बसों के शिफ्ट किए बिना ही निर्माण शुरू कर दिया है। जिस स्थान पर निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं से बसें चल रही हैं। निर्माण कार्य के बीच यात्री पहुंच रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए कोई दिशा निर्देश भी जारी नहीं किए गए हैं।

राजस्व की चिंता के कारण यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़

यदि बसों का संचालन साहिबाबाद डिपो से किया जाता है तो रोडवेज में यात्रियों की संख्या कम हो सकती है। पुराने बस अड्डे पर यात्री अधिक संख्या में पहुंचते हैं।

माना जा रहा है कि साहिबाबाद डिपो पर इतनी संख्या में यात्री नहीं पहुंचेंगे। ऐसे में रोडवेज का राजस्व कम होगा। अधिकारी राजस्व का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। जानकारों की माने तो राजस्व के चक्कर में निर्माण कार्य के बीच बसों का संचालन किया जा रहा है।

अत्याधुनिक बस अड्डे में ये होगी सुविधाएं अत्याधुनिक बस अड्डा बनने पर यहां यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं रहेंगी। बस देखने के लिए बड़ी एलईडी स्क्रीन लगेंगी। जिस पर यात्री बस चलने का समय देख सकेंगे।

विश्रामालय व बैठने के लिए यात्री हाल की व्यवस्था होगी। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई भी लगेगी। विभिन्न तरह के आउटलेट्स की सुविधा भी रहेगी। इसके लिए दुकानें बनाई जाएंगी। यहां निजी स्तर पर भी दुकानें संचालित होंगी।

तेज रफ्तार बोलरो डिवाइडर को फांदते हुए कार को टक्कर मारकर कैब पर चढ़ी, दो लोगों की मौत

दिल्ली-नोएडा लिंक रोड पर एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। तेज रफ्तार बोलरो कार डिवाइडर को फांदकर सड़क के दूसरी तरफ चली गई और सामने से आ रही दो कारों से टक्कर आई। हादसे में कैब चालक और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई जबकि बुजुर्ग पुरुष की हालत गंभीर बनी हुई है।



जहां कैब चालक व बुजुर्ग महिला को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बोलरो के अंदर शराब की बोतल बरामद बुजुर्ग के पति की हालत अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। मयूर विहार थाना पुलिस ने कैब चालक के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद स्वजन को सौंप दिया है। बोलरो कार के अंदर से शराब की बोतल बरामद हुई है। आशंका है शराब के नशे में हादसा हुआ। बोलरो कार तेमूर नगर निवासी अमित के नाम पर पंजीकृत है।

तीन घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक खनिया ने बताया कि शनिवार

रात 12:45 डीएनडी के पास दिल्ली-नोएडा लिंक रोड पर सड़क हादसा होने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची। कैब के ऊपर बोलरो कार चढ़ी हुई थी। पुलिस ने कैब के अंदर से तीन घायलों को निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया।

बोलरो नोएडा की ओर जा रही थी जांच में पता चला बुलंदशहर स्थित खुर्जा निवासी अर्जुन अपनी कैब से गुरुग्राम निवासी चार्टर्ड अकाउंटेन्ट संजीव व उनकी पत्नी सुमन को नोएडा से अक्षरधाम मंदिर की तरफ लेकर जा रहे थे। मौके पर बल्लेनो कार चालक आकाश मिले। उन्होंने बताया कि तेज रफ्तार काले रंग की बोलरो कार

अक्षरधाम मंदिर की तरफ से नोएडा की ओर जा रही थी। अचानक डिवाइडर को फांदते हुए सड़क को दूसरी तरफ आ गई।

कैब में पीछे की सीट पर महिला बैठी थी पहले उनकी कार को सामने से टक्कर मारी और हवा में उछलकर पीछे आ रही कैब पर जा चढ़ी। हादसे में वह बाल बाल बच गए। जबकि कैब बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कैब चालक के पीछे की सीट पर बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। हादसे में वह दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस का कहना है आरोपित की कार को कब्जे में लेने के साथ आरोपित की तलाश की जा रही है।

लापरवाही की हद !: हेडलाइट खराब... टॉर्च की रोशनी में दौड़ाई बस, चार घंटे तक 25 यात्रियों की अटकी रहीं सांसें

लखनऊ से बलिया जा रही रोडवेज बस की हेडलाइट बंद हो गई। जिसके बाद परिचालक ने टॉर्च खरीदकर बस के आगे वाले हिस्से पर बांध दिया और उसी के सहारे 25 यात्रियों से भरी बस लेकर रवाना हुए। इस दौरान यात्रियों की सांसें अटकी रहीं।



नई दिल्ली। महाकुंभ की तैयारियों के बीच परिवहन निगम की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। लखनऊ से बलिया जा रही रोडवेज बस खराब हो गई तो यात्रियों से धक्का लगाकर स्टार्ट किया गया। फिर उसकी हेडलाइट बंद हो गई। रात करीब आठ बजे आजमगढ़ बस स्टैंड पर मदद नहीं मिलने पर परिचालक ने 250 रुपये की टॉर्च खरीदकर बस के आगे बांध दी। फिर टॉर्च की रोशनी के सहारे चालक बस लेकर रवाना हुआ। यात्री भी अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाए रहे। बलिया तक करीब चार घंटे के सफर के दौरान बस में सवार 25 यात्रियों की सांसें अनहोनी की आशंका में अटकी रहीं।

बलिया रोडवेज डिपो की बस यूपी 50 बीटी 3325 शनिवार को लखनऊ से चली थी। आजमगढ़ पहुंचने से पहले बस खराब हो गई यात्रियों से धक्का लगाकर स्टार्ट किया गया। किसी तरह बस आजमगढ़ डिपो पहुंची, मगर उसकी हेडलाइट खराब हो गई।

बस में सवार यात्रियों के अनुसार, परिचालक ने पीछे से आ रही आंबेडकरनगर डिपो की बस में सवारियों को बैठाने का अनुरोध किया, मगर आंबेडकरनगर डिपो के परिचालक ने मना कर दिया। रात में कोई अन्य साधन नहीं मिलता देख यात्री परेशान हो गए।

परिचालक भरत यादव ने बताया कि उसने डिपो में मौजूद अधिकारियों को यह बात बताई लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। उसने 250 रुपये की टॉर्च खरीदी और उसे जलाकर हेडलाइट के पास बांध दिया। इसके बाद बस आजमगढ़ रोडवेज परिसर से बलिया के लिए रवाना हुई। कुछ यात्री अपने-अपने मोबाइल फोन की टॉर्च भी जलाए थे। चालक ने किसी तरह बस को बलिया डिपो तक पहुंचाया तो यात्रियों ने राहत की सांसें ली।

यात्री बोले लखनऊ से आ रहा हूँ। रास्ते में बस खराब हो गई थी तो धक्का देकर स्टार्ट कराया गया। फिर हेडलाइट खराब हो गई। इसी बस नहीं होने पर मजबूरी में जाना

पड़ रहा है। - आदित्य कुमार गुप्ता, यात्री सरकारी बस से यात्रा करने पर भरोसा रहता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तो बस की खराबी के कारण कई घंटे की देरी हो गई। बिना लाइट की बस से पहली बार सफर कर रहा हूँ। - अमित कुमार, यात्री

क्या बोलें अधिकारी चालक-परिचालक को इस स्थिति से अवगत कराना चाहिए। बिना हेडलाइट के बस का संचालन रात में कतई नहीं करना चाहिए। कार्यशाला में बस को दिखवाना चाहिए। यह गलत है। कारवाई होगी।

- मनोज कुमार वाजपेई, आरएम आजमगढ़

